राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–3/शिका.) विभाग

क्रमांक प. 2(2)(60)का/क–3/शिका./2011 जयपुर, दिनांक 27.6.11

आदेश

डॉ0 हनुमान सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर जिला हनुमानगढ़, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर द्वारा पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 213/2011 अन्तर्गत धारा 7,13(1)(डी), व 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये गये है।

अतः राज्य सरकार राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ0 हनुमान सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर जिला हनुमानगढ़ को एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है।

डॉ0 हनुमान सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर जिला हनुमानगढ़ का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

आदेश से,

शासन उप सचिव

URGENT

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर को डॉ0 हनुमान सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर जिला हनुमानगढ़ के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ0 हनुमान सिंह को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को प्रेषित कर, निवेदन है कि डॉ0 हनुमान सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर जिला हनुमानगढ़ के निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नही छोडें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. डॉ0 हनुमान सिंह, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन), राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर जिला हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे निदेशक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोडें।
8. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग
9. कोषाधिकारी, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

URGENT

निलम्बित के आदेश सम्बन्धित को तत्काल तामील कराया जाना सुनिश्चित करावें। तामील कराकर जाने वाला मूल रसीद संलग्न है।

AS

m/A

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : सीबी / चि0अ0 / एच–77 / 2011 / 372 दिनांक 7/7/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को डा0 हनुमान सिंह, क0वि0 (सर्जरी), राजकीय सामु0स्वा0केन्द्र रावतसर (हनुमानगढ) की मूल प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त की तामील डा0 हनुमान सिंह को करवांकर तामील रसीद दो प्रतियों में तत्काल भिजवाने की व्यवस्था करावें। **(संलग्न : उपरोक्तानुसार–मूल)**।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, ए0टी0 सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
7. फैक्स / रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।